फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री अशोक पुत्र चान्दमल मुणेत निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 134/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/20	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अशोक पुत्र चान्दमल मुणेत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 08.10.2020 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत किया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, बिनोता से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official